न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–13 / 2025 दायर दिनांकः 01.5.2025
GCMS NO:- 2025/99 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

पप्पूलाल आ9 भैरूलाल जाति मीणा नि0 खजुरी।

– प्रार्थी

बनाम

काशीराम आ0 छोटू जाति मीणा नि0 खजुरी तहसील नैनवाँ वगैरह। (कुल 8)

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से वकील श्री रामबाबू शर्मा।

निर्णय दिनांक 27.05.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम खजुरी तहसील नैनवॉ मे प्रार्थी के खाते व कब्जे मे हिस्से मे जमाबन्दी संख्या 113 नई की खसरा नम्बर 59 रकबा 3.9884 हैक्टयर भूमि स्थित है। खसरा नम्बर 59 मे प्रार्थी का हिस्सा 1/18 है। प्रार्थी के हिस्से के खेत खसरा नम्बर 59 पर पहुंचने, आने जाने, कृषि उपकरणों को लेकर आने जाने के लिए ग्राम खजुरी से जरखोदा जाने वाली पक्की सडक पर होकर खसरा नम्बर 62 सरकारी रास्ते मे होकर खसरा नम्बर 59 पर रास्ता पहुंचता है। जिसे नक्शा परिशिष्ट क मे हरे व लाल रंग से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता 15 फूट चौडा है एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नही है। प्रत्यार्थीगण द्वारा रास्ता पूर्णतया बंद कर देने से प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि पर नही जा पा रहा है। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। हमने प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी द्वारा जिस खसरा नम्बर 59 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ